कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14( )2020 / कोटा रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं. / 6124 दिनांक 26/5/2023

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषयः– Construction of approach road to sangahedi proposal sanction under new village connectivity road total road length 1.80 km and proposed forest land 0.41 hact. this road is off taking from (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/45388/2020)

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:–

1. संलग्न के0एम0एल0 फाइल में वन भूमि एवं गैर वन भूमि की सीमा में एरिया छूटा हुआ है उक्त क्षेत्र को शामिल किया जावे।
2. संलग्न डी0जी0पी0एस0 मेप एवं राजस्व मेप में सडक के एलायमेंट विरोधाभासी है आवेदित क्षेत्र अनुसार ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।
3. प्रस्तावित वन भूमि में कार्य वर्ष 2021 के उपरांत होना पाया गया है किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नही माना गया है कारण स्पष्ट किया जावे और वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार कार्यवाही करावे।।
4. के0एम0एल0 फाइल राजस्व मेप के अनुसार नही बनी है। राजस्व मेप में दो सेगमेंट है जबकि के0एम0एल0 फाइल में एक ही सेगमेंट दिया गया है
5. खसरा अनुसार रिपोर्ट में 260 ने का खसरा वन विभाग के नाम नही है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा वन भूमि का विधिक अस्तित्व राजस्व लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्र वन विभाग की खातेदारी में है।
7. यूजर ऐजेन्सी उक्त ग्राम में प्राप्त वन/गैर वन भूमि को पृथक पृथक रंग से दर्शाया जाकर आस पास की सीमा बनायी जावे।
8. आवेदित क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य में वृक्ष पूर्व में ही काटे जा चुके है तो फिर 59 वृक्ष कहाँ आ रहे है।
9. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नही किया गया है।
10. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 8 में वन्यजीव की उपस्थिति का विवरण संलग्न नही किया गया है।
11. प्रकरण में 56 वृक्ष का आना अवगत कराया गया है तो 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना किस आधार पर संलग्न की गयी है। प्रकरण में काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी है।
12. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना के डी0जी0पी0एस0 मेप एवं जी0टी0 शीट मेप सही संलग्न नही किये गये है।
13. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित वन भूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न करें।
14. उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन को स्पष्ट नही दर्शाया गया है।
15. उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंषा नही की गयी है।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,
(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2020 / कोटा रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं. / 6125 – 26 दिनांक 26/5/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, कोटा।
2. EXECUTIVE ENGINEER PWD DISTRICT DN KOTA RAJ BHAWAN ROAD NAYAPURA KOTA.

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा
क्रमांक एफ() एफसीए/3415 – 4657 दिनांक 08.06.2023
अधिशाषी अभियन्ता कोटा को दी जाकर लेख है कि क्र.सं. 1 से 7 व 8 की पूर्ति पालना कर इस कार्यालय को भिजवाने ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

C:\Users\Lenovo\Desktop\EDS Letter DK.doc 26-May-23

281
मुख्य वन संरक्षक
कोटा (राज.)